



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, (छ. ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 852 / अका. / सम्बद्धता / 2023

रायपुर, दिनांक : 04 / 10 / 2023

॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 21.09.2023 की अनुशंसानुसार एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22.09.2023 के निर्णयानुसार संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुरुद जिला- धमतरी (छ.ग.) को दर्शित कक्षा/विषय एवं सत्र के लिये अस्थाई सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है-


क्र.	कक्षा/विषय	सीट संख्या	सत्र
1.	M.Sc. I/II Sem.- Information Technology	20	2023-24

शासनादेश- छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला- रायपुर का पत्र क्र. एफ 3-27/2023/38-1 दिनांक 20.06.2023.

शर्तें :-

1. छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
2. समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
3. कक्षा M.Sc. III/IV Sem. की सम्बद्धता हेतु 30 जून 2024 तक शुल्क जमा कर आवेदन विश्वविद्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।
4. जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थाई सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

आदेशानुसार,



उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक : 853 / अका. / सम्बद्धता / 2023

रायपुर, दिनांक : 04 / 10 / 2023

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.),
2. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/शारीरिक शिक्षा, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
3. उ.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास/प्रभारी, प्रेस,
4. अध्यक्ष, कम्प्यूटर अ.शाला को इस निर्देश के साथ की इसे वि.वि. के वेबसाइट में सूचनार्थ अपलोड करें,
5. संचालक, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता, सहकारी संघ मर्या. आदर्श नगर, कांके रोड़, रांची-झारखंड पिन नं.-834008
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ हेतु अग्रेषित।


कक्षा अधिकारी (अका.)

विद्यालय का नाम :- अंल सुकु धालीडास शास. 2-ना. मद्य. कुकुड, ध. 5.

भाग "ब"

भाग "अ" में दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद निरीक्षण समिति द्वारा भरा जाए।
प्रस्तावित पाठ्यक्रम के संचालन के लिए निरीक्षण समिति का विन्दुवार प्रतिवेदन।

(प्रतिवेदन में अनशंसा न की जाए अपितु पात्रता/अपात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। कमियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, जिन्हें सम्बद्धता के लिये शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।)

निरीक्षण आदेश क्रमांक : 10/219/सम्बद्धता/2023 219 (डिप्टी - 18/07/2023)

निरीक्षण की तिथि : 10/08/2023

प्रस्तावित पाठ्यक्रम का विवरण जिसके लिये सम्बद्धता चाही गई है:-

कक्षा	विषय	अपेक्षित सीट	सत्र	वर्तमान सत्र में प्रवेश की स्थिति
M.Sc.-310 Sem. (I.T.) (Sect-20)	Information Technology	20	2023-24	-

क.	विवरण	भाग "अ" में विन्दु क्रमांक	पात्रता/कमियों का विवरण
1.	समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता	1(ii)	NA Govt Institute -
2.	समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि	1(iv)	is not
3.	इडोमेंट फण्ड में जमा की गई राशि	1(v)	NA -
4.	शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि	2(iii), 2(v)	NA -
5.	महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं?	3(xii)	Yes
6.	महाविद्यालय भवन में मानदंड के अनुरूप कक्षाओं की उपलब्धता	3(xiv)	पर्याप्त है
7.	यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षाओं की उपलब्धता	3(xvi)	पर्याप्त नहीं है
8.	प्रयोगशाला हेतु उपकरणों उपलब्धता	3(xvi)	अपर्याप्त
9.	प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिये विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता	5(viii)	अपर्याप्त है।

G.

10.	ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता	7(i), 7(vi)	ग्रंथपाल नियमित ही प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए पुस्तकें भर्जियाएँ हैं।
11.	महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधायें	9	Wi-Fi सुविधा है।
12.	यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की सम्बद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई हैं?		-
13.	अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहे		-
14.	कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें सम्बद्धता प्रदान किये जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।		निम्न शर्तें होना आवश्यक हैं। ① प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए नियमित शिक्षक नियुक्त किया जाना आवश्यक है। ② नवीनतम configuration के इस (10) कंप्यूटर लाइसेंस सॉफ्टवेयर के साथ क्रय किया जाना आवश्यक है। ③ अतिरिक्त कंप्यूटर लैब प्रथम बनवाया जाना आवश्यक है। ④ प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए अग्र-अनुपात में पुस्तकें क्रय किया जाना आवश्यक है। ⑤ पाठ्यक्रम से संबंधित लाइसेंस सॉफ्टवेयर क्रय किया जाना आवश्यक है।

निरीक्षण समिति के संयोजक का नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक

10/8/23

प्रति,

कुलसचिव
पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

S. S. Dohari
10/08/23

10.8.2023

10-08-2023
Rajay Kumar